भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1968
दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवरेज

1968. **श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार इस रिपोर्ट को किस प्रकार देखती है कि वर्ष 2016 में 22 प्रतिशत की तुलना में अब 64.3 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है.

(ख) क्या सभी क्षेत्रों में गरीबी में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात 24.8 प्रतिशत से घटकर 14.9 प्रतिशत हो गया है; और

(ग) क्या सरकार यह परिकल्पना करती है कि सतत विकास लक्ष्यों द्वारा अधिदेशित वर्ष 2030 तक इस गति से गरीबी को दूर किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के आईएलओएसटीएटी डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार डिजिटल और वित्तीय समावेशन की मजबूत नींव के कारण संभव हुआ है। जन धन के तहत बैंक खाता कवरेज ने, आधार-सक्षम पहचान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के साथ मिलकर, लक्षित लाभार्थियों तक तेजी से और पारदर्शी रूप से लाभ

पहुंचाने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, पीएम-पोषण, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा समर्थित आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा ने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार किया है।

(ख) और (ग) नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार, बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 2015-16 के 24.85 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 14.96 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित चर्चा पत्र "2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी" के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। ये परिणाम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने के एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की राह पर है। राष्ट्रीय एमपीआई के सभी संकेतकों में पर्याप्त प्रगति जो कई एसडीजी में परिलक्षित होती है, समग्र प्रगति प्राप्त करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों को दर्शाती है। यह सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर केंद्रित बहुआयामी कार्यनीति के कारण है।

*****